पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 332/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.10.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 26.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- तहबरपुर जनपद आजमगढ़: किशोरी को भगाने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.2024 को आवेदक द्वारा थाना तहबरपुर पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी द्वारा वादी की नतीनी उम्र करीब 17 वर्ष को बहला-फुसला कर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 204/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अपहृता की बरामदी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी सुरागरसी की कार्यवाही की जा रही थी। विवेचना से धारा 87 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 26.10.2024 को उ0नि0 दशरथ उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बालअपचारी को टीकापुर से समय करीब 19.05 बजे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के समय मा0सर्वोच्च न्याया0 एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों एवं निर्देशों से अवगत सभी पुलिस कर्मी को कराकर पालन किया एवं कराया गया।

02.थाना- जीयनपुर: व्यक्ति के साथ हुए साइबर फ्राड का पैसा उसके अकाउंट में वापस कराया गया

पूर्व की घटना/इतिहास–

आवेदक रितिश पटेल पुत्र दिनेश पटेल निवासी मोहम्मदपुर बेलवनिया थाना जीयनपुर आजमगढ़ से साईबर फ्राड कर आवेदक से दिनांक 24.09.2024 को फोन पे एप्प के माध्यम से मो0न0 9119845502 पर 8000/- रूपये मंगा लिया गया। तत्तपश्चात आवेदक रितिश पटेल उपरोक्त द्वारा साईबर हेल्पलाईन नं0 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराया गया शिकायत की जाँच क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे साइबर फ्राड सम्बन्धित प्रकरण में साइबर फ्राड हुये पैसे को आवेदक को वापस दिलाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी महोदय सगड़ी के कुशल निर्देशन व मुझ थानाध्यक्ष के नेतृत्व मे क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा आवेदक पटेल पुत्र दिनेश पटेल निवासी मोहम्मदपुर बेलवनिया थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा दिनांक 24.09.2024 को फोन पे एप्प के माध्यम से फ्राड हुए कुल 8000/- रूपये को आवेदक के खाते मे बरामद कराया गया।

पंजीकृत अभियोग/ साईबर पोर्टल पर पंजीकृत शिकायत संख्या – 33109240120522

03.थाना- कोतवाली: चोरी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि वादी हेमंत कुमार गौतम पुत्र लालता प्रसाद निवासी मोहल्ला बागेश्वर नगर रोडवेज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 26/03/2024 को सुबह वादी अपने जरुरी कार्य से कचहरी गया था जहा पर मेरी मोबाइल करीब 11 बजे आस-पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0 अ0सं0 193/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 26.10.24 उ0नि0 अजय यादव व कां0 अश्वनी यादव थाना कोतवाली आजमगढ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आया अभियुक्त महेन्द्र राम पुत्र रामाज्ञा नि. कोलघाट थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष को बवाली मोड़ से समय करीब 10.30 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण:- 1 चोरी की मोबाईल फोन

04.थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़:चोरी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – थाना स्थानीय पर निम्नलिखित चोरी की घटनाएं **1.** दिनांक 09.10.24 को डोडोपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में चोरी की थी जिसमें रसोई गैस चूल्हा , सिलेण्डर, भगोना और आग बुझाने वाला सिलेण्डर चोरी के संबंध में मु0अ0सं0 489/24 धारा 305 बीएनएस, **02.** दिनांक 22.10.2024 की रात को ग्राम काली चौरा बाजार में एक गुमटी का कुण्डी काटकर एक बल्ब जलाने वाली छोटा इन्वर्टर और कुछ पैसा चोरी ले जाने के संबन्ध में मु0अ0सं0 503/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 26.10.24 को उ0नि0 कमला प्रसाद मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र में डोडोपुर बाजार मे मौजूद था कि हम सभी आपस में अपराध व अपराधियों एव क्षेत्र में लगातार हो रही चोरीयों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे। कि एक व्यक्ति समय करीब 03.15 बजे गुलाब सेठ के भट्ठे से आने वाले रास्ते के पास मेन रोड पर सफेद बोरे में कुछ सामान लेकर खड़ा है। संदिग्ध प्रतीत होने पर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामचरन निवासी घूरीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष बताया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 510 रुपये नगद बरामद हुए तथा एक बोरे के अन्दर 01 चुल्हा का सांचा ,रेगुलेटर व रसोई गैस बर्नल व अग्निसमन यंत्र मिले। उक्त समान के विषय में कड़ाई से पूछने पर

बताया कि दिनांक 09.10.24 को आरोपी ने डोडोपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में चोरी की थी जिसमें से उसने रसोई गैस चूल्हा , सिलेण्डर, भगोना और आग बुझाने वाला सिलेण्डर चोरी कर इसी झाड़ी में छिपा कर रखा था जिसे मै धीरे-धीरे एक-एक करके बेच रहा था। भगोने को मैने कुछ दिनो पहले ही फेरी करने वाले को बेचा था । तथा दिनांक 22.10.2024 की रात को ग्राम काली चौरा बाजार में एक गुमटी का कुण्डी काटकर एक बल्ब जलाने वाली छोटा इन्वर्टर और कुछ पैसा चोरी किया था छोटे इन्वर्टर को मैने फेरी वाले को बेचा था जिसमे से यही 510 रुपया बचा है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 489/24 धारा 305/317(2)/317(4) बीएनएस तथा **2.** मु0अ0सं0 503/24 धारा 305(a),317(2),317(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

<u>बरामदगी</u>- चोरी के एक अदद रसोई चुल्हा का सांचा ,रेगुलेटर ISI मार्क व रसोई गैस बर्नल व अग्निसमन यंत्र व 510 रुपया ।